न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 371/2016

बउनवान

रमेशचन्द आयु 40 साल पुत्र श्री प्रभूलाल जाति–मीना निवावी–लेवा तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री नन्दकिशोर गुर्जर, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 26.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 10.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–लेवा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 384 रकबा 2.00 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर फसल जप्ति, बेदखली, 1100/–रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब करने में भारी भूल की है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है तथा राजस्व मण्डल राज. अजमेर की पालना में कब्जा छोडने बाबत तहसीलदार को दिनांक 4.4.16 को प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर दिया है, जिसकी पालना में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 5.10.2016 को न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया। अपील के साथ स्थगन प्रार्थनापत्र पेश कर, जेर अपील में सजा पर स्थगन दिये जाने एवं अपील अपीलांट स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.2.2016 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में बहस स्थगन प्रार्थनापत्र दिनांक 14.10.2016 सुनी गयी। प्रकरण में स्थगन प्रार्थनापत्र खारिज किया गया। जिसकी निगरानी अपीलांट ने माननीय मण्डल में की गयी। जिसमें प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दिनांक 18.10.2016 को माननीय मण्डल में सशर्त आंशिक स्वीकार किया हुआ कि अपीलांट राजकीय भूमि से अपना कब्जा छोडने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने का शपथपत्र संबंधित तहसीलदार से प्रमाणित करवाकर

इस न्यायालय में पेश कर तो सिविल कारावास की सजा ताफैसला अपील निलंबित की जावे। इसपर सजा को ताफैसला अपील निलंबन स्वीकार किया गया।

4— अपील में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

5— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट बिना सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर दिये एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, कब्जा काफी समय से छोड रखा है। हल्का पटवारी ने अपीलांट के विरूद्व बिना मौके देखे व कब्जे की जॉच किये बिना अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट पेश की गयी है, इसी आधार के आधार पर अपीलांट को सजायाब किया गया है। इस प्रकरण में अपीलांट को माननीय राजस्व मण्डल से स्थगन प्राप्त हो गया है तथा अपीलांट ने माननीय मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2016 की पालना में तहसीलदार, बारां के समक्ष शपथपत्र पेश कर दिया है। उसका वर्तमान में उक्त आराजी पर कब्जा नहीं है ना हीं तावान राशि बकाया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

6— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 85/14 निर्णय दिनांक 07.02.2014 से बेदखल किया गया है। अपीलांट ने 2.00 है0 भूमि पर अतिचार किया है। यदि इसे सजायाब नहीं किया गया तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

7— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। माननीय मण्डल द्वारा जेर अपील में स्थगन प्रार्थनापत्र खारिज होने पर, आदेश दिनांक 18.10.2016 से सशर्त सजा पर स्थगन प्रदान किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट ने 2.00 है0 ग्राम लेवा की आराजी पर अतिचार किया गया है। अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिचार करने पर पूर्व में मिसल नम्बर 85/2014 निर्णय दिनांक 07.02.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है, जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है।

8— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 65/2016 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां